छुट्टी की अर्जी का फार्म / FORM OF APPLICATION FOR LEAVE (अनुपुरक नियम 216 देखिए / See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी - मद संख्या 1 से 11 प्रत्येक प्राथी को भरनी चाहिए चाहे वह राजपत्रित हो अराजपत्रित Note: Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted

1.	प्राथी का नाम / Name of Applicant	
2.	लागू होने वाली छुट्टी नियमावली / Leave Rules Applicable	
3.	पद / Designation	
4.	विभाग, कार्यालय और अनुभाग / Department, Office and Section	
5.	वेतन / Pay	
6.	वर्तमान पद पर मिलनेवाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकार	
7	भत्ते / House rent allowance, Conveyance allowance or other	
7.	मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधी, और उसकी शुरू होने की तारीख / Nature of	
0	period of leave applied for date from which required. रिववार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हे छुट्टी के पहले / बाद में जोडना चाहते है	
8.	/ Sunday & Holidays if any, Proposed to be prefixed /suffixed to leave	
9.	छुट्टी का कारण / Ground on which leave is applied for	
9.	श्रुष्टा का कारण / Ground on which leave is applied for	
10.	पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख उस छुट्टी की किस्म तथा अवधी / Date of	
	return from last leave, and the nature and the period of the leave	
11.	मेरा विचार आगामी छुट्टी मे के खंड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की रियायत	
	लेने का है/ नहीं है	
	I propose / do not propose to avail myself of leave travel	
	concession for the block years During the ensuing leave.	
12.	मै वचन देता हूं कि औसत वेतन छुट्टी / परिवर्तित छुट्टी अवधी में लिए गये छुट्टी /	
(क)	आधे वेतन की छुट्टी में मिलनेवाले वेतन के अंतर की उस रकम को वापस कर दूँगा	
	जो छुट्टी की समाप्ती पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिती मे मूल	
	नियम 81 (ख) () संशोधन छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11 (ग) () लागू न होने पर अनुमत्य नहीं होगी।	
	I undertake to refund the difference between the leave salary drawn	
	during leave on average pay/commuted leave and that admissible	
	during leave on half average half / pay leave which would not have	
	been admissible had the proviso to F.R. 81 (b) (ii) rule 11 (c) (ii) of	
	the revised leave rules 1933 not been applied in the event of my	
	retirement from service at the end or during the currency of the	
	leave.	
12.	मै वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग पत्र देने तक मै	
(ख)	कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अग्रिंम छुट्टी के	
	दौरान जो मूल नियम 81 (ग) / संशोधन छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11 (घ)	
	के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूँगा।	
	I undertake to refund the leave salary drawn during "leave not due"	
	which would not have been admissible had F. R. 81 (c) Rule 11 (d)	
	of the revised leave rules, 1933 not been applied, in the event of	
	my voluntary retirement or resignation from service at any time	
	until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due	
	availed of by me.	
	छूट्टी के दौरान पता / Address on leave	

तारीख:	हस्ताक्षर:
Date:	Signature of Applicant:
13	3. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी/ सिफारिश
(Remarks	/ recommendation of the Controlling Officer)
तारीख:	हस्ताक्षर:
Date:	Signature:
	पदनाम:-
	Designation:-
	छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाणपत्र
Cer	tificate Regarding Admissibility of Leave
	त्रेत अधिकारियों के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा)
,	ountant General in the case of gazetted Officers)
14. प्रमाणित किया जाता है कि	सेतकदिन के लिए
नियमावली के	नियम अनुमत्य है।
Certified that	(Nature of Leave)
Forfrom.	to is admissible under
ruleof the	rules.
तारीख:	हस्ताक्षर:
Date:	Signature:
	पदनाम:-
	Designation:-
स्वीकृति देने वाले	ने अधिकारी के आदेश (Order of the Sanctioning Authority):-
तारीख:	हस्ताक्षर:
Date:	Signature:
	पदनाम:-
	Designation:-

- यदि प्राथी को कोई प्रतिकार भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देनि वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिये कि छुट्टी पूरी होने पर प्राथी उस पद पर या किसी ऐसी पद पर लौतने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता है।
- If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.